न्यायालय जिला कलक्टर, एवं जिला पंजीयक, अजमेर

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या – 04/2017

उप पंजीयक, अजमेर–प्रथम जिला अजमेर

..........अपीलान्ट

बनाम

1. श्री बनवारी लाल वर्मा पुत्र श्री सेडूराम वर्मा जाति बलाई निवासी ग्राम केसा का बास, पोस्ट करण सर तहसील फुलेरा जिला–जयपुर।
2. श्री गंगाराम बलाई पुत्र श्री रूडाराम जाति बलाई, निवासी ग्राम रामकुई, जिला–जयपुर।

..............रेस्पोडेन्ट्स

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरूद्ध अपील संख्या 2/2011 दिनांक 23.11.2016

आदेश दिनांक – 22.03.2017

इस न्यायालय के द्वारा पंजीयन अपील सं0 02/2011 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2016 बाबत उप पंजीयक, अजमेर प्रथम द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में निहित कृषि भूमि पुष्कर के क्षैत्राधिकार में है। वर्तमान में उप पंजीयक अजमेर प्रथम को उपं पंजीयक पुष्कर के क्षैत्राधिकार की भूमि के दस्तावेजों का पंजीयन करने की अधिकारिता नहीं है। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा –72(2) के तहत पंजीयन की कार्यवाही उप पंजीयक पुष्कर के द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है।

दौराने सुनवाई अप्रार्थी0/अभिभाषक, अप्रार्थी0 उपस्थित नहीं आयें। प्रार्थी उप पंजीयक, प्रथम अजमेर के प्रार्थना पत्र कथन है कि जिले में कहीं भी पंजीयन योजना के तहत दिनांक 28.6.2011 को तहसीलदार पुष्कर के क्षैत्राधिकार की भूमि ग्राम पुष्कर की आराजी खसरा नंबर 213/2 रकबा 3–00–00 बीघा खसरा नं0 213/3 रकबा 02–10–00 बीघा गै0मु0 दडा का 1/2 कुल किता 02 कुल रकबा 04–05–00 में 1/2 भूमि का बेचान अप्रार्थी सं0 02 द्वारा अप्रार्थी सं0 01 के हक में कर पंजीयन हेतु दस्तावेज उप पंजीयक अजमेर प्रथम के समक्ष पेश किया गया। जिसे प्रार्थी उपपंजीयक अजमेर प्रथम द्वारा पंजीयन से इन्कार किया जाने पर अप्रार्थी सं0 01 द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, अजमेर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई। अपील सं0 02/2011 में मान0 न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 23.11.2016 के तहत उप पंजीयक, अजमेर प्रथम को दस्तावेज में पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत नियमानुसार विधि सम्मत अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान में ऐनी वेयर स्कीम लागू नहीं होने कारण आदेश की पालना बाबत महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर से मार्गदर्शन चाहने पर दिये गये निर्देश की पालना में यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में निहित कृषि भूमि पुष्कर के क्षैत्राधिकार में है। वर्तमान में ऐनी वेयर स्कीम लागू नहीं होने कारण उप पंजीयक अजमेर प्रथम को उपं पंजीयक पुष्कर के क्षैत्राधिकार की भूमि के दस्तावेजों का पंजीयन करने की अधिकारिता नहीं है। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा –72(2) के तहत पंजीयन की कार्यवाही उप पंजीयक पुष्कर के द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी बनवारीलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.3.2017 के मुख्यतः कथन है कि पटवार हल्का पुष्कर स्थित कृषि खाता संख्या 274 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 213/2 रकबा 3-00-00 बीघा खसरा नं0 213/3 रकबा 02-10-00 बीघा गै0मु0 दड़ा का 1/2 कुल किता 02 कुल रकबा 04-05-00 बीघा की खातेदारी श्रीमती मीरा देवी पत्नी गोपीराम बलाई के नाम से नामान्तरकरण संख्या 724 दिनांक 13.4.2006 के अनुसार दर्ज की गई। खातेदार मीरा देवी द्वारा उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.6.2007 से श्री गंगाराम बलाई पुत्र श्री रूडाराम को विक्रय कर दी तथा गंगाराम बलाई द्वारा बाद में उक्त खरीदशुदा भूमि की 1/2 भूमि का बेचान अप्रार्थी के हक में कर पंजीयन हेतु दस्तावेज उप पंजीयक अजमेर प्रथम के समक्ष पेश किया गया। ऐनी वेयर स्कीम के तहत उप पंजीयक द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा 52 से 58 की समूची कार्यवाही कर विलेख को पंजीकरण के लिए एडमिट करने के बाद मिनट बुक में तत्समय कमांक 062 पर पंजीकरण से लम्बित कर विक्रय विलेख के पृष्ठ सं0 4 की पुश्त पर दिनांक 6.7..2011 का "पंजीयन से इन्कार" का अंकित आदेश सहित मूल अभिलेख लौटा दिया। उपपंजीयक अजमेर प्रथम के इस आदेश के विरूद्व प्रार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील, आदेश दिनांक 23.11.2016 से स्वीकार की जाकर उप पंजीयक, अजमेर प्रथम को पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत नियमानुसार विधि सम्मत अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गयें हैं। अतः उपपंजीयक अजमेर प्रथम को अप्रार्थी के विक्रय दस्तावेज को नियमानुसार पंजीबद्ध करते हुए पंजीयन अधि0 की धारा 60 की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कथनो का ध्यान पूर्वक मनन किया एवं रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार की "जिले में कहीं भी पंजीयन योजना" बन्द होने से वर्तमान में उप पंजीयक अजमेर प्रथम को उप पंजीयक पुष्कर के क्षैत्राधिकार की भूमि के दस्तावेजो को पंजीयन करने की अधिकारिता नहीं है। लिहाजा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 72(2) के तहत पंजीयन की कार्यवाही उप उपपंजीयक, पुष्कर द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। अतः प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पारित आदेश दिनांक 23.11.2016 में आंशिक संशोधन, उप पंजीयक, अजमेर प्रथम के स्थान पर उप पंजीयक पुष्कर किया जाता है। चूंकि उप पंजीयक अजमेर के द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा 52 से 58 की कार्यवाही की जा चुकी है, उप पंजीयक, अजमेर प्रथम द्वारा उक्त कार्यवाही की सत्यापित प्रति उप पंजीयक पुष्कर को भिजवाई जावें तथा उप पंजीयक पुष्कर द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 के तहत सत्यापन उपरान्त धारा 60 के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें। प्रकरण उप पंजीयक, पुष्कर को उक्तानुसार इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्व अपील में पारित इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.11.2016 के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट के विकेता श्री गंगाराम बलाई के हक में हुए इन्द्राज की जानकारी कर तद्नुसार पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत नियमानुसार विधि सम्मत अग्रिम कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 22.03..2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

22/03/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक
अजमेर

न्यायालय जिला कलेक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner